अजय अर्जुन सिंह

बनाम

शारदेन्दु तिवारी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8254/2016)

23 अगस्त, 2016

[जे. चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- Or. VI, r. 16-अभिवचनों को समाप्त करना-आवेदन u/Or. VI, r. 16-चुनाव याचिका में कुछ दलीलों को खारिज करने के लिए-खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी कानूनी कार्यवाही के पक्षकार अपने विरुद्ध मामले को विवेकपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए एकतरफा न्याय के हकदार हैं-न्यायालय को 'नियम' के तहत शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और तर्कसंगत सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए-चुनाव याचिका में किए गए कथन को तब तक तथ्यात्मक रूप से सही माना जाता है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए-वर्तमान मेंःमामले में, आवेदक ने यह खुलासा नहीं किया कि किस आधार पर u/Or. VI, r. 16, पर विचार किया गया था। विभिन्न अभिवचनों को निरस्त करने की आवश्यकता थी-उन्होंने बल्कि प्रत्येक आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण दिया-जिस क्षण अदालत को चुनाव याचिका में लौटे उम्मीदवार के बचाव की जांच करने के लिए कहा जाता है, याचिका को न तो वाद हेतुक कारण खारिज किया जा सकता है और न ही अभिवचन के किसी भी हिस्से को रद्द किया जा सकता है। u/Or. VI, r. 16- चुनाव याचिका के पैराग्राफ 14M में निहित अभिवचन के अलावा किसी भी अभिवचन को चुनाव याचिका में प्रार्थना के संदर्भ में अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है-इसलिए, चुनाव याचिका के केवल पैराग्राफ 14M को हटा दिया जाता है लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा. 77, स्पष्टीकरण 1 और 2-चुनाव के संबंध में व्यय-छूट प्राप्त व्यय-आयोजितःचुनाव में खर्च की गणना करते समय, स्टार प्रचारक द्वारा किए गए खर्च को छूट दी गई है, लेकिन ऐसी छूट केवल राजनीतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिए यात्रा के कारण सीमित है और वह भी जब यात्रा खर्च स्वयं स्टार प्रचारक द्वारा किया जाता है-अन्य खर्चों को छूट नहीं दी गई है।

अभ्यास और प्रक्रिया- प्रारंभिक आपत्तियाँ- चुनाव याचिका में- कब उठाया जाना है- अभिनिर्धारित: चुनाव याचिका में प्रारंभिक आपत्तियां, यदि एक से अधिक हैं, तो जल्द से जल्द और एक बार में ली जानी चाहिए- इस तरह के पाठ्यक्रम से चुनाव याचिका के निर्णय में देरी से बचा जा सकता है, जिसे छह महीने की अवधि के भीतर तय किया जाना अनिवार्य है-बाद में ऐसी क्रमिक याचिकाओं में से केवल उसी आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया-चुनाव कानून-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- Or. VI, r. 16 और Or. VII, r. 11.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

अभिनिर्धारित:-1. सी. पी. सी. का आदेश VI नियम 16 अदालत को यह आदेश देने के लिए अधिकृत करता है कि उसके समक्ष किसी भी अभिवचन में किसी भी मामले को खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत निर्दिष्ट आधारों पर खारिज कर दिया जाए।उनमें से प्रत्येक एक अलग आधार है।खंड (क) न्यायालय को उन अभिवचनों को खारिज करने के लिए अधिकृत करता है जो (i) अनावश्यक, (ii) निंदनीय, (iii) तुच्छ, (iv) परेशान करने वाले हो सकते हैं।यदि किसी अभिवचन या उसके किसी भाग को इस आधार पर खारिज किया जाना है कि यह अनावश्यक है, तो यह परीक्षण लागू किया

जाना चाहिए कि क्या उस अभिवचन में निहित आरोप मांगी गई राहत देने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है।जिन आरोपों का कार्यवाही में मांगी गई राहत से कोई संबंध नहीं है, वे इस श्रेणी में आते हैं।इसी तरह, यदि किसी अभिवचन को इस आधार पर खारिज किया जाना है कि वह निंदनीय है, तो अदालत को पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि अभिवचन कानूनी अर्थों में निंदनीय है और फिर यह पूछताछ करनी चाहिए कि क्या इस तरह के निंदनीय आरोप कार्यवाही में मांगी गई राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हैं या नहीं।खंड (ग) के तहत न्यायालय का अधिकार बहुत व्यापक है।जाहिर है, इस तरह के अधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक और कुछ तर्कसंगत सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी कार्यवाही के पक्षकार अपने खिलाफ मामले को समझदारी से प्रस्तुत करने के लिए पूर्व-ऋण न्याय के हकदार हैं ताकि वे मामले को पूरा करने में शर्मिंदा न हों। [पैरा 5 और 6] [157-डी, एफ-जी; 158-ए-सी]

2.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की खंड 123(1) के तहत आने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को चुनाव याचिका के पैरा 19 में पाया जाना है।अपीलकर्ता द्वारा आरोप विवादित नहीं हैं।उन्होंने अपने आचरण को समझाने का फैसला किया।क्या स्पष्टीकरण तथ्यात्मक रूप से सही है और, यदि ऐसा है, तो उक्त स्पष्टीकरण के कानूनी निहितार्थ क्या हैं, चुनाव याचिका के मुकदमे में तय किए जाने वाले मामले हैं।यदि स्पष्टीकरण या तो असत्य या कानूनी रूप से अस्वीकार्य पाया जाता है, तो चुनाव याचिका के पैरा 19 में लगाया गया आरोप यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता धारा, 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी है।इसलिए, चुनाव याचिका के पैरा 19 में दलीलों को रद्द करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।[Paras 12 और 13]-[161-ए, डी-ई; 162-ए]

3.1 चुनाव याचिका के पैराग्राफ 14 के विभिन्न उप-पैराग्राफ और पैराग्राफ 15,

16 और 17 इंगित करते हैं कि अतिरिक्त खर्च अपीलकर्ता द्वारा किया गया है और यह तीन शीर्षों के तहत आता है।अपीलकर्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत जानकारी दीः(i) उनके द्वारा अभियान में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में; (ii) वास्तव में उपयोग की गई सामग्री के जानबूझकर कम मूल्यांकन के आधार पर गलत जानकारी देने के लिए इस तरह से उपयोग की गई विभिन्न वस्तुओं की लागत के बारे में, और (iii) कुछ खर्चों का कुल खुलासा नहीं करना, (ए) चुनाव में राजनीतिक दल के शीर्ष कार्यकर्ताओं में से एक की बैठक आयोजित करने के लिए उनके द्वारा किए गए और (बी) प्रासंगिक अवधि के दौरान उनके द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग करना। [पैरा 14] [162-बी-डी]

3.2 अपीलकर्ता द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान उपयोग की गई सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता और ऐसी सामग्री के मूल्य के बारे में आरोप और जवाबी आरोप विशुद्ध रूप से तथ्य के प्रश्न हैं जिन्हें साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक है।इस संबंध में कानून यह है कि जब तक अन्यथा साबित नहीं हो जाता, तब तक चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को सही माना जाना चाहिए।उन सभी आरोपों की सच्चाई स्थापित करने का भार अनिवार्य रूप से प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता पर है।निर्वाचन आयोग या उसके अधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्य निर्णायक नहीं हैं।इस तरह की कवायद का कोई वैधानिक आधार नहीं है।चुनाव आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए नमूनों पर आधारित होगा, यह कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उम्मीदवारों ने प्रचार की वास्तविक प्रक्रिया में समान गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया है।उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपीलकर्ता के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया। [पैरा 15 और 18] [162-ई-एफ; 164-जी-एच; 165-ए]

3.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की खंड 77 चुनाव में प्रत्येक

उम्मीदवार को उन तारीखों के बीच चुनाव के संबंध में सभी खर्चों का एक अलग चालू खाता रखने के लिए बाध्य करती है, जिस दिन ऐसे उम्मीदवार को नामित किया गया है और उस चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख।हालांकि, अधिनियम की खंड 77 के स्पष्टीकरण 1 का खंड (ए) घोषित करता है कि "किसी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा राजनीतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिए हवाई या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से यात्रा के कारण किया गया खर्च" उम्मीदवार के खर्च का हिस्सा नहीं होगा। स्पष्टीखंडण 1 में आने वाली "राजनीतिक दल के नेता" अभिव्यक्ति को ही उक्त खंड के स्पष्टीखंडण 2 में समझाया गया है।स्पष्टीकरण 2 से यह देखा जा सकता है कि खंड 77 के तहत ऐसे चुनाव के उद्देश्य के लिए 'राजनीतिक दल का नेता' कहे जाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए, ऐसे व्यक्ति का नाम संबंधित राजनीतिक दल द्वारा चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाता है।जिन व्यक्तियों के नाम चुनाव आयोग को इस तरह से बताए गए हैं, उन्हें चुनाव के संबंध में 'स्टार प्रचारक' कहा जाने लगा।[Paras 25, 26, 27 और 28] [168-सी-डी; 169-बी-सी]

3.4 हालांकि, ऐसे स्टार प्रचारकों या ऐसे स्टार प्रचारकों की ओर से किए गए पूरे खर्च (किसी भी हिसाब से) को चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा किए गए कुल खर्च का निर्धारण करने के उद्देश्य से खंड 77 के तहत छूट नहीं दी गई है।खंड 77 के स्पष्टीकरण 1 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि केवल स्टार प्रचारक द्वारा किए गए खर्च को, वह भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिए यात्रा के कारण, उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा गया है।दूसरे शब्दों में, एक स्टार प्रचारक की बैठक के लिए पंडालों के निर्माण आदि जैसी व्यवस्थाओं के संबंध में किया गया खर्च स्पष्टीकरण 1 के तहत छूट प्राप्त खर्च का हिस्सा नहीं है।दूसरा, स्पष्टीकरण 2 के तहत, स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च स्वयं स्टार प्रचारक द्वारा किया गया होगा।स्पष्टीकरण 1 के प्रारंभिक खंड से यह स्पष्ट है कि "किसी राजनीतिक दल के

नेताओं द्वारा किया गया व्यय"।यदि इस तरह का खर्च स्टार प्रचारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न होंगे।[पैरा 29] [169-डी-एफ]

3.5 पैराग्राफ 14 एम पर चुनाव याचिका में विशिष्ट अभिवचन यह है कि अपीलकर्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर प्रासंगिक अवधि के दौरान कई अवसरों पर हेलीकॉप्टर का उपयोग किया।स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि अपीलकर्ता मध्य प्रदेश राज्य के लिए उक्त चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों में से एक था।इसलिए, उन्हें न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी अपने राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने की आवश्यकता थी।इस आरोप की अनुपस्थिति में में कि अपीलकर्ता ने चुनाव प्रचार के उद्देश्य से अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, उस खाते में किए गए खर्च को अपीलकर्ता के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जा सकता है।इसलिए, चुनाव याचिका का अनुच्छेद 14 एम रद्द करने योग्य है और तदनुसार, रद्द कर दिया जाता है।[पैरा 31] [170-डी-ई; 171-ए]

3.6 आवेदन यानी अपीलकर्ता u/Or. VI नियम 16 सी.पी.सी. द्वारा दायर किया गया। छठा नियम 16 सीपीसी किस आधार पर इसका खुलासा नहीं करता है आदेश VI नियम 16 के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों पर विचार किया गया चुनाव याचिका को रद्द करना आवश्यक है। पर दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया विभिन्न में निहित प्रत्येक आरोप के संबंध में चुनाव याचिका के जिन पैराग्राफों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है बाहर। फिलहाल अदालत को बचाव पक्ष की जांच करने के लिए कहा गया है चुनाव याचिका में लौटाया गया उम्मीदवार, चुनाव याचिका न तो कार्रवाई के कारण और न ही किसी भाग के अभाव में बर्खास्त किया जा सकता है आदेश VI नियम 16 के तहत याचिका को खारिज किया जा सकता है उल्लिखित आधारों में से

किसी एक की उपलब्धता का अभाव आदेश VI नियम 16 में, सीपीसी द्वारा हड़ताल करना अस्वीकार्य है। [पैरा 30] [169-जी-एच; 170-ए]

3.7 इस स्तर पर चुनाव याचिका में निहित कथनों को तथ्यात्मक रूप से सही माना जाना चाहिए।एकमात्र।इस तरह के बयान की संभावित जांच यह है कि क्या वे आरोप चुनाव याचिका में मांगी गई राहत के संदर्भ में प्रासंगिक हैं।पैराग्राफ 14 एम के अलावा पैराग्राफ 14 के विभिन्न उप-पैराग्राफ में निहित किसी भी आरोप को चुनाव याचिका में प्रार्थना के संदर्भ में अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।[पैरा 30] [170-बी-सी]

4. अपीलकर्ता द्वारा शुरू में आदेश VII नियम 11 के तहत याचिका दायर करने में अपनाई गई प्रक्रिया में अनुरोध किया गया है कि चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाए और लंबे अंतराल के बाद तत्काल आवेदन दायर करने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए।चुनाव याचिका में प्रारंभिक आपत्तियां, यदि कोई हों, (उन मामलों में जहां एक से अधिक हैं) को जल्द से जल्द और एक बार में लिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रथा केवल चुनाव याचिका के निर्णय में देरी करती है जो संसद द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर तय करने के लिए अनिवार्य है।इस तरह की लगातार याचिकाओं में से बाद की याचिकाओं को उच्च न्यायालयों द्वारा केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 32] [171-ए-सी]

भीकाजी केशव जोशी और अन्य बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी और अन्य AIR 1965 SC 610 : 1964 SCR 642; पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य (2012) 7 एससीसी 788:2012 (6) एससीआर 851; लिवरपूल और लंदन एस. पी. और । Assn. लिमिटेड बनाम M V. Sea Success I (2004) 9 एस.सी.सी.

512:2003 (5) पूरक एस.सी.आर. 851-पर निर्भर।

गोल्डिंग बनाम व्हार्टन सॉल्ट वर्क्स (1876) 1 क्यू बी डी 374- संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1964 एस.सी.आर. 642	निर्भर	पैरा 7
2012 (6) एस.सी.आर. 851	निर्भर	पैरा 7
2003 (5) पूरक एस.सी.आर. 851	निर्भर	पैरा 8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः दीवानी याचिका सं 8254/2016

निर्वाचन याचिका संख्या 1/2014 में आई.ए. सं. 12911/2014 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के दिनांक 17.11.2014 के निर्णय और आदेश से।

सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता, विक्रमादित्य सिंह, नवीन प्रकाश, सुश्री मीतू सिंह, सुश्री साक्षी कोटियाल, अलीशा पांडा, अधिवक्ता - अपीलकर्ता के लिए।

नमन नागरथ, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रकाश उपाध्याय, विकास उपाध्याय, नीहा गौर, कौस्तुभ अंशुराज, अधिवक्ता - प्रतिवादीओं के लिए।

महेंद्र भैया दीक्षित, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश चेलामेश्वर, जे. द्वारा सुनाया गया:

1. अनुमति अनुदत्त की गई।

2. I.A. No. 12911/2014 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के दिनांकित 17.11.2014 आदेश द्वारा उत्तेजित। चुनाव याचिका संख्या 1/2014 में, असफल आवेदक ने तत्काल अपील को प्राथमिकता दी।

3. वर्ष 2013 में हुए आम चुनावों में मध्य प्रदेश राज्य के 76-चुरहाट विधानसभा क्षेत्र से यहां से उम्मीदवार चुने गए हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार थे और उन्होंने 19,356 मतों के अंतर से जीत हासिल की। अपीलकर्ता के चुनाव की वैधता को चुनौती देते हुए, इसमें प्रथम प्रतिवादी, उक्त चुनाव में अन्य उम्मीदवारों में से एक, ने चुनाव याचिका संख्या 1/2014 दाखिल की।

4. अपीलकर्ता ने यहाँ I.A.No.12911/2014 दायर किया, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के आदेश VI नियम 16 का आह्वान करते हुए. चुनाव याचिका के विभिन्न [पैरा 25. वह, उत्तरदाता प्रत्यर्थी, इसलिए सम्मानपूर्वक पृष्ठ 24 से 29 तक उस अनुच्छेद 14 (ए), 14(डी) को प्रस्तुत करने से शुरू होता है "छाया व्यय रजिस्टर में...घोषणा पी/19" 14 (ई), 14 (एफ), 14(जी)(आई), 14(एच)(आई), 14(I), 14(एल), 14(एन), 14(ओ). पैराग्राफ 15 से 17 और 19 को दलीलों से हटा दिया जाए क्योंकि वे अप्रासंगिक, अनावश्यक तुच्छ और परेशान करने वाला हैं।] अनुच्छेदों को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध करता है कि उन अनुच्छेदों में निहित आरोप तुच्छ और परेशान करने वाले हैं, उक्त .I.A को इस अपील में आरोपित आदेश को खारिज कर दिया।इसलिए तत्काल अपील की जाती है।

5. इस अपील में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रश्नों की जांच करने से पहले, हम आदेश VI, नियम 16 की योजना की जांच करना लाभदायक समझते हैं।

> "16. अभिवचनों को समाप्त करना-न्यायालय किसी भी स्तर पर निम्नलिखित कार्य कर सकता है:किसी अभिवचन में किसी मामले को निरस्त करने या संशोधित करने का कार्यवाही आदेश -
>
> (क) जो अनावश्यक, निंदनीय, तुच्छ या परेशान करने वाला हो सकता है, या

(ख) जो मुकदमा के निष्पक्ष विचारण को पूर्वाग्रह, शर्मिंदा या विलंबित कर सकता है, या

(ग) जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"

यह न्यायालय को यह आदेश देने के लिए अधिकृत करता है कि उसके समक्ष किसी भी अभिवचन में किसी भी मामले को खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत निर्दिष्ट आधारों पर खारिज कर दिया जाए।उनमें से प्रत्येक एक अलग आधार है।उदाहरण के लिए, खंड (ए) अदालत को हड़ताल करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन वे अभिवचन जो (I) अनावश्यक, (ii) निंदनीय, (iii) तुच्छ, (iv) परेशान करने वाले हो सकते हैं।यदि किसी अभिवचन या उसके कुछ हिस्से को इस आधार पर निरस्त किया जाना है कि यह अनावश्यक है, तो लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या उस अभिवचन में निहित आरोप मांगी गई राहत देने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है। जिन आरोपों का कार्यवाही में मांगी गई राहत से कोई संबंध नहीं है, वे इस श्रेणी में आते हैं।इसी तरह, यदि किसी अभिवचन को इस आधार पर खारिज किया जाना है कि वह निंदनीय है, तो अदालत को पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि अभिवचन कानूनी अर्थों में निंदनीय है और फिर यह पूछताछ करनी चाहिए कि क्या इस तरह के निंदनीय आरोप कार्यवाही में मांगी गई राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हैं या नहीं।खंड (सी) के तहत न्यायालय का अधिकार बहुत व्यापक है।जाहिर है, इस तरह के अधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक और कुछ तर्कसंगत सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

6. नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी कार्यवाही के पक्षकार अपने खिलाफ मामले को समझदारी से प्रस्तुत करने के लिए पूर्व-ऋण न्याय के हकदार हैं ताकि वे मामले (गोल्डिंग बनाम व्हार्टन साल्ट वर्क्स, (1876) 1 क्यू. बी. डी. 374)

को पूरा करने में शर्मिंदा न हों।

7. चुनाव याचिका पर आदेश VI नियम 16, सी. पी. सी. के आवेदन के संदर्भ में, भीकाजी केशव जोशी और अन्य बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी और अन्य, AIR 1965 एस.सी. 610 में इस अदालत ने निर्णय दिया कि एक चुनाव याचिका की जांच करने वाली अदालत उन आरोपों को खारिज करने का आदेश दे सकती है जो अस्पष्ट (उसे ऐसे आरोपों को हटाने का आदेश देना चाहिए था जो अस्पष्ट रहे और याचिकाकर्ताओं से उन आरोपों को साबित करने का आह्वान किया जो यथोचित रूप से विशिष्ट थे) हैं?

8. पोन्नला लक्ष्मैया बनाम कोम्मुरी प्रताप रेड्डी और अन्य (2012) 7 एस.सी.सी. 788 में, इस न्यायालय ने आदेश VII नियम 11 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन के दायरे पर विचार किया। इस तरह का आवेदन वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा दायर किया गया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि वाद हेतुक किसी भी कारण का खुलासा न करने के लिए चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाए।इस न्यायालय ने राय दी कि इस तरह के आवेदन को निर्धारित करने के उद्देश्य से, चुनाव याचिका में किए गए कथन को तथ्यात्मक रूप से सही माना जाना चाहिए और उसके बाद यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे कथन याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए वाद हेतुक प्रदान करते हैं।ऐसा निष्कर्ष इस न्यायालय (लिवरपूल और लंदन एस.पी. और I Assn. लिमिटेड, बनाम M.V. Sea Success I, (2004) 9 एस.सी.सी. 512

पैरा 8: इसी प्रभाव के लिए लिवरपूल और लंदन एस. पी. और I Assn. लि. बनाम एम. वी. sea सक्सेस आई में इस न्यायालय का निर्णय है जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाद में वाद हेतुक प्रकटीकरण तथ्य का प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर केवल वाद के पढ़ने से ही पाया जाना चाहिए।किसी मुकदमा या निर्वाचन

याचिका की सुनवाई करने वाला न्यायालय, जैसा कि वर्तमान मामले में स्थिति है, यह जांच करते हुए कि क्या मुकदमा या याचिका वाद हेतुक खुलासा करती है, यह मान लेगा कि मुकदमा या याचिका में किए गए कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं।यह केवल तभी है जब कथनों को तथ्यात्मक रूप से सही माने जाने के बावजूद, अदालत को कथनों से वाद हेतुक कोई कारण नहीं मिलता है कि वह वाद को अस्वीकार करने में उचित हो सकता है।

पैरा 10: उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर याचिका को समय पर खारिज करने से इनकार करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं कि वह वाद हेतुक किसी कारण का खुलासा नहीं करता है।चुनाव याचिका में किए गए कथन यदि तथ्यात्मक रूप से सही माने जाते हैं, जैसा कि उन्हें यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए करना चाहिए कि आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं, तो हमारी राय में वाद हेतुक खुलासा करें, इसलिए उच्च न्यायाधीशालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायाधीशालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए कोई त्रुटि नहीं की, जो न्यायाधीश की विफलता के परिणामस्वरूप हुई त्रुटि से बहुत कम है।) के पूर्व निर्णय में निर्धारित कानून के आधार पर दर्ज किया गया था। हमारी राय है कि आदेश VI नियम 16 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय भी कानून के समान सिद्धांत लागू होते हैं।

9. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, हम मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।अपीलकर्ता के चुनाव को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की खंड 123(1), 123(3) और 123(6) के तहत आने वाली विभिन्न भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर चुनौती दी गई है:

"123. भ्रष्ट आचरण।—निम्नलिखित को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट प्रथा माना जाएगा -

(1) "रिश्वत ", इसका मतलब है -

(ए) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी भी व्यक्ति को कोई उपहार, प्रस्ताव या वादा, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने का उद्देश्य हो -

(क) एक व्यक्ति के रूप में खड़ा होना या नहीं खड़ा होना, या चुनाव में उम्मीदवार होने से पीछे हटना या नहीं हटना, या

(ख) एक निर्वाचक को मतदान करने के लिए या चुनाव में मतदान करने से बचने के लिए, या पुरस्कार के रूप में -

(i) किसी व्यक्ति के इस प्रकार खड़े होने या नहीं खड़े होने के लिए, या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने या वापस नहीं लेने के लिए; या

(ii) मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए एक निर्वाचक;

(बी) किसी भी संतुष्टि की प्राप्ति या प्राप्त करने के लिए समझौता, चाहे वह एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में हो -

(क) किसी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने के लिए, या उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न हटने के लिए; या
(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए, या किसी भी मतदाता को मतदान करने या मतदान से बचने के लिए प्रेरित करने या प्रयास करने के लिए, या किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस

लेने या न लेने के लिए।

(3) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से रोकने या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या अपील करने या राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करने या अपील करने की अपील, उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए।

बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत किसी उम्मीदवार को आवंटित किसी भी प्रतीक को इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं माना जाएगा।

(6) खंड 77 के उल्लंघन में व्यय करना या अधिकृत करना।"

अर्थात, घूसखोरी, धर्म के आधार पर वोट मांगना और अधिनियम की खंड 77 के उल्लंघन में खर्च करना।

10. खंड 123(1) के तहत आने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को चुनाव याचिका के पैरा 19 में पाया जाना है।खंड 123(3) के तहत आने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के आरोप चुनाव याचिका के पैराग्राफ 18 में निहित हैं, जो उन पैराग्राफों में से एक नहीं है जिन्हें रद्द [पैरा 25. वह, उत्तरदाता प्रत्यर्थी, इसलिए सम्मानपूर्वक पृष्ठ 24 से 29 तक उस अनुच्छेद 14 (ए), 14(डी) को प्रस्तुत करने से शुरू होता है "छाया व्यय रजिस्टर में...घोषणा पी/19" 14 (ई), 14 (एफ), 14(जी)(आई), 14(एच)(आई), 14(I), 14(एल), 14(एन), 14(ओ). पैराग्राफ 15 से 17 और 19 को दलीलों से हटा दिया जाए क्योंकि वे

अप्रासंगिक, अनावश्यक तुच्छ और परेशान करने वाला हैं।] करने का अनुरोध किया गया था।

11. शेष सभी अनुच्छेद, जिन्हें निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी, खंड 123(6) के तहत आने वाले भ्रष्ट आचरण के आरोप से संबंधित हैं।इनमें से प्रत्येक पैराग्राफ में निहित आरोप चुनाव अभियान

(यह IA 2911/2014 के पैरा 3 में भी अपीलकर्ता का स्वीकृत मामला (सही) है।

"पूरी चुनाव याचिका इस पर आधारित हैः-

(क) चुनाव अभियान में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का कम मूल्यांकन

(ख) ऐसे चुनाव में कथित रूप से उपयोग की गई कुछ वस्तुओं के संबंध में खर्च का खुलासा न करना।) के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत किए गए खर्च से संबंधित हैं।")

प्रत्यर्थी के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार किए गए व्यय की कुल राशि अधिनियम की खंड 77 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।

12. पैरा 19 (19.कि आदर्श आचार संहिता के दौरान, मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए, आई.एन.सी. उम्मीदवार/प्रतिवादी नं.1 अपने प्रतिनिधि श्री भरत सिंह (विधायक प्रतिनिधि) द्वारा से टी.टी.नगर भोपाल में रखे गए विभिन्न खातों द्वारा जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट/चेक बड़ी मात्रा में वितरित किए गए हैं।याचिकाकर्ता को एक चारका को के पक्ष में जारी किए गए उक्त चेक/डिमांड ड्राफ्ट में से एक मिला! मतदान केंद्र धनहा से कौन मतदाता है।चुनाव के दौरान भी भरत सिंह द्वारा ड्राफ्ट को विधायक प्रतिनिधि के रूप में वितरित किया गया था।चूंकि आई. एन. सी. उम्मीदवार उत्तरदाता

संख्या 1 लगातार विधानसभा का सदस्य है और उसे विधायक के रूप में जाना जाता है।याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट ने इस संबंध में पर्यवेक्षक से शिकायत की है।निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पर्यवेक्षक को की गई शिकायत की प्रति इसके साथ संलग्नक पी-53 के रूप में दाखिल की जा रही है।हालाँकि तब भी आई. एन. सी. उम्मीदवार/प्रतिवादी नं.1 मतदाताओं को उनके मतों को प्रभावित करने के लिए प्रतिनिधि श्री भरत सिंह और एंटी डेट चेक/डिमांड ड्राफ्ट दिए गए।राजकुमारी साकेत के पक्ष में तैयार किए गए इस तरह के एक और मसौदे को याचिकाकर्ता के ध्यान में लाया गया है, जो इसे भुनाने में समर्थ नहीं थी क्योंकि उसका कोई खाता नहीं था।जब याचिकाकर्ता ने उससे पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि श्री भरत सिंह ने उसे 12/11/2013 पर यह अनुरोध करते हुए दिया है कि "राहुल भैया ने उसके रोजगार के लिए धन की व्यवस्था की है और उसके और उसके परिवार के सदस्य के वोट के लिए अनुरोध किया है।डिमांड ड्राफ्ट की प्रति इसके साथ संलग्नक पी-54 के रूप में दाखिल की जा रही है।) में निहित आरोप चुनाव याचिका अपीलकर्ता द्वारा विवादित नहीं है।दूसरी ओर, उन्होंने IA के पैरा 24 में अपने आचरण की व्याख्या करने का फैसला किया।

> "24. उत्तरदाता एतद्द्वारा सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि एम.पी. विधानसभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष खर्च के लिए 20 लाख रुपये की राशि निर्धारित की जाती है।एक मंत्री और विपक्ष के नेता को बीस लाख रुपये दिए जाते हैं, स्वैच्छिक अनुदान के लिए। जिस तरीके से यह अनुदान वितरित किया जाना है, वह ऐसे मंत्री/विपक्ष के नेता का एकमात्र विवेक है।मंत्री/विपक्ष के नेता विधानसभा के सचिव को एक सूची देते हैं जिसमें उन व्यक्तियों के नाम और राशि होती है जिन्हें अनुदान दिया जाना है।तदनुसार, प्रक्रिया के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को मसौदा जारी किया जाता है।"

13. क्या स्पष्टीकरण तथ्यात्मक रूप से सही है और, यदि ऐसा है, तो उक्त स्पष्टीकरण के कानूनी निहितार्थ क्या हैं, चुनाव याचिका के मुकदमे में तय किए जाने वाले मामले हैं।यदि स्पष्टीकरण या तो असत्य या कानूनी रूप से अस्वीकार्य पाया जाता है, तो चुनाव याचिका के पैरा 19 में लगाया गया आरोप यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता धारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी है।इसलिए, हम चुनाव याचिका के पैरा 19 में दलीलों को खारिज करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

14. अब हम विवादित आदेश की वैधता की जांच करते हैं क्योंकि यह कानून द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं से परे (इसमें अपीलकर्ता द्वारा) खर्च करने से संबंधित है।पैराग्राफ 14 के विभिन्न उप-पैराग्राफ और चुनाव याचिका के पैराग्राफ 15, 16 और 17 में निहित आरोपों का विश्लेषण इंगित करता है कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अतिरिक्त खर्च तीन शीर्षों के अंतर्गत आता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत जानकारी देना [8. आर.पी. अधिनियम 1951 की खंड 78 से प्रवाहित एक दायित्व

> "खंड 78 जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लेखा जमा करना-चुनाव में प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से तीस दिनों के भीतर या यदि चुनाव में एक से अधिक लौटे उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें अलग-अलग हैं, तो उन दो तारीखों के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने चुनाव खर्च का लेखा दर्ज कराएगा जो खंड 77 के तहत उसके या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गए खाते की सही प्रति होगी।"]

(i) अपीलकर्ता द्वारा अभियान में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता

के संबंध में,

((ii) अपीलकर्ता द्वारा वास्तव में उपयोग की गई सामग्री के जानबूझकर कम मूल्यांकन के आधार पर गलत जानकारी देकर वापस किए गए उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार उपयोग की गई विभिन्न वस्तुओं की लागत के संबंध में,

(iii) अपीलकर्ता द्वारा (क) चुनाव में अपीलकर्ता को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल के शीर्ष कार्यकर्ताओं में से एक (श्री राहुल गाँधी) की बैठक आयोजित करने और (ख) संबंधित अवधि के दौरान अपीलकर्ता द्वारा हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के लिए किए गए कुछ खर्चों का कुल खुलासा न करना।

15. अपीलकर्ता द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान उपयोग की गई सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता और ऐसी सामग्री के मूल्य के बारे में आरोप और जवाबी आरोप विशुद्ध रूप से तथ्य के प्रश्न हैं जिन्हें साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में कानून, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता, तब तक चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को सही माना जाना चाहिए।उन सभी आरोपों की सच्चाई स्थापित करने का भार अनिवार्य रूप से प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता पर है।हमने पैराग्राफ 14 के विभिन्न उप-पैराग्राफ में निहित इस संबंध में विभिन्न आरोपों को सावधानीपूर्वक देखा है द्वारा हमारी राय है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आदेश VI नियम 16 सी. पी. सी. का आह्वान करने वाले उन सभी अभिवचनों को खारिज करने की आवश्यकता है। प्रत्येक पैराग्राफ में आरोप हैं कि अपीलकर्ता ने किसी न किसी शीर्ष के तहत कुछ खर्च (निर्दिष्ट) किया है।ऐसी राशि का कुल योग अधिनियम की खंड 77 के तहत व्यय की अनुमेय सीमा से अधिक होगा।

16. इस संबंध में एकमात्र प्रश्न जो हमारे ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि यह अपीलकर्ता का मामला है कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के तहत

चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रचार में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के संबंध में एक दर सूची को अंतिम रूप दिया गया है।अभियान की प्रक्रिया के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के संबंध में अपने खर्च की अपीलार्थी की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा किए गए इस तरह के निर्धारण के अनुरूप है।इसलिए उन सामग्रियों के संबंध में किए गए खर्च के बारे में उनके द्वारा की गई घोषणा की शुद्धता के बारे में आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है।आइए में इस संबंध में अपीलार्थी का अभिवचन इस प्रकार हैः-

> "5. कि, चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के तहत एम.पी. राज्य विधानसभा चुनाव के संबंध में एक उम्मीदवार द्वारा किया जाने वाला अधिकतम चुनाव खर्च रु 16 लाख।चुनाव खर्च की सीमा की जांच आदेश के लिए कलेक्टर/जिला चुनाव अधिकारी ने तीन जिम्मेदार अधिकारियों की एक उप समिति नियुक्त आदेश के विभिन्न वस्तुओं की दर सूची तैयार की, जिनका चुनाव अभियान में उपयोग आदेश की मांग की गई थी।इसके अनुसार समिति ने प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के परामर्श से खुले बाजार से ऐसी सामग्री की दरों का पता लगाया और उसके बाद चुनाव में उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अंतिम दर सूची तैयार की।उत्तरदाता कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्यवाही की प्रति दाखिल कर रहा है जो दस्तावेज़ संख्या 1 के रूप में चुनाव में उपयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की दरें निर्धारित कर रहा है।याचिकाकर्ता ने दर सूची की एक प्रति अनुलग्नक-पी-3 के रूप में दाखिल की है, दर सूची का प्रकाशन उस ओर से आयोजित कार्यवाही से पहले।जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसे उत्तरदाता प्रत्यर्थी ने अब दस्तावेज़ संख्या 1 के रूप

में दाखिल किया है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार तैयार की गई दर सूची पर किसी भी राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधियों द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. कि, कुछ वस्तुएँ जो कलेक्टर द्वारा इस प्रकार तैयार की गई दर सूची में जगह नहीं पा सकीं, उन्हें चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक उम्मीदवार के 'छाया रजिस्टर' में शामिल किया गया है।इस तरह की दर सूची और छाया रजिस्टर अंतिम और निर्णायक हैं।दर सूची और 'छाया रजिस्टर' को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है और इस तरह की वस्तुओं के संबंध में मूल्यांकन का चुनाव प्रक्रिया में इस न्यायालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।"

******** ******** ********

9. कि, वर्तमान चुनाव याचिका उत्तरदाता द्वारा किए गए खर्चों के संबंध में विचारणीय नहीं होगी, जिन्हें जिला चुनाव अधिकारी (संक्षेप में, 'डी.ई.ओ.') द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि यह न्यायालय चुनाव सामग्री का अपना मूल्यांकन देने के लिए दर सूची या छाया रजिस्टर पर नहीं बैठेगा, क्योंकि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (इसके बाद "1951 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत चुनाव याचिका के मुकदमे के दायरे से बाहर होगी।

17. दूसरी ओर, यह प्रतिवादी का मामला है कि चुनाव आयोग द्वारा किया गया निर्धारण चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की कीमतों के बारे में निर्णायक नहीं है।इसके अलावा, चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा उपयोग

की जाने वाली प्रचार सामग्री की वास्तविक मात्रा और इसकी लागत हमेशा तथ्य का सवाल होती है।चुनाव समाप्त होने के बाद, किसी भी चुनाव याचिकाकर्ता के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह चुनाव याचिका में यह प्रदर्शित करे कि लौटे उम्मीदवार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई सामग्री से अधिक महंगी है, क्योंकि सामग्री का मूल्य उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर निर्भर करता है।ये सभी तथ्य के प्रश्न हैं जिनकी अदालत द्वारा चुनाव याचिका में जांच और निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

18. हम चुनाव याचिकाकर्ता के निवेदन को प्रतिग्रहण करना करते हैं।चुनाव आयोग या उसके अधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्य निर्णायक नहीं हैं।इस तरह की कवायद का कोई वैधानिक आधार नहीं है।चुनाव आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए नमूनों पर आधारित होगा।यह कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उम्मीदवारों ने प्रचार की वास्तविक प्रक्रिया में समान गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया है।इसके अलावा चुनाव अभियान में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता और किसी भी उम्मीदवार द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली सामग्री की वास्तविक कीमत हमेशा तथ्य के प्रश्न होते हैं, जिन्हें साक्ष्य में स्थापित करने की आवश्यकता होती है।हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपीलकर्ता के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

19. एकमात्र प्रमुख मुद्दा जिसके लिए परीक्षा की आवश्यकता होती है, वह ऊपर उल्लिखित तीसरे शीर्ष (पैरा 14) के बारे में है।इसे एक बार फिर दो उप-शीर्षकों में विभाजित करने की आवश्यकता है,

(क) 20 नवंबर, 2013 को जिला मुख्यालय, सीधी में श्री राहुल गांधी

की सार्वजनिक बैठक के संबंध में कथित रूप से किया गया खर्च।इस संबंध में आरोप चुनाव याचिका के पैरा 14 (एल) में पाए जाते हैं।

आरोप का सार यह है कि हालाँकि बैठक सीधी में हुई थी जो चुरहाट निर्वाचन क्षेत्र (जहाँ से दलों ने चुनाव लड़ा था) की क्षेत्रीय सीमाओं से परे है, अपीलकर्ता न केवल ऐसी बैठक में उपस्थित थे, बल्कि श्री राहुल गांधी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष) के साथ मंच भी साझा किया था।अपीलकर्ता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से बहुत से मतदाताओं को जुटाया और उस उद्देश्य के लिए वाहन किराए पर लिए जिन पर खर्च करना पड़ता था।अपीलकर्ता ने पंडालों के निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था आदि के संबंध में भी खर्च किया। प्रत्यर्थी के अनुसार, इस तरह का खर्च रु। 13,88,073-और इसे अपीलकर्ता के चुनाव व्यय में जोड़ा जाना आवश्यक है।

(ख) कि अपीलकर्ता 4.11.2013 से 19.11.2013 [खंड 77 के तहत किए गए व्यय को तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक अवधि] के बीच है, भोपाल से सीधी के बीच चार्टर्ड उड़ानों द्वारा 8 अवसरों पर यात्रा की।प्रत्यर्थी के अनुसार, अकेले इस गिनती पर अपीलकर्ता ने Rs.40 लाख का खर्च किया।इस तरह की उड़ानों और आरोपों का विवरण चुनाव याचिका के पैरा 14 (एम) में पाया जाना है।

20. उपर्युक्त दो आरोपों के संबंध में IA No.12911/2014 द्वारा प्रकट की गई अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया पैराग्राफ संख्या 19 और 20 में पाई जाती है। इससे यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करता है कि 20.11.2013 को सीधी में संजय गांधी कॉलेज के मैदान में एक सार्वजनिक बैठक हुई थी जिसमें श्री

राहुल गांधी ने भाग लिया था। अपीलकर्ता के अनुसार, बैठक का स्थान 77 सीधी विधानसभा क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर है, लेकिन 76 - चुरहट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर नहीं। इस बैठक का आयोजन श्री कमलेश्वर द्विवेदी ने किया था, जो उक्त निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे।उक्त कमलेश्वर द्विवेदी ने अधिनियम की खंड 78 के तहत अकाउंट दायर किया जिसमें उपरोक्त बैठक के संचालन के लिए उनके द्वारा किए गए खर्च का विवरण दिया गया था जिसे 77-सीधी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने विधिवत स्वीकार कर लिया था।यह अपीलकर्ता का विशिष्ट निवेदन है कि वह उक्त बैठक में उपस्थित था क्योंकि वह उक्त चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के "स्टार प्रचारकों" में से एक था।अपीलकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता उक्त बैठक (10. यदि ऐसी बैठक का खर्च पहले ही उस उम्मीदवार द्वारा दिखाया जा चुका है जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक आयोजित की गई थी, तो यह आवश्यक या अनिवार्य नहीं था कि उत्तरदाता प्रत्यर्थी को ऐसी बैठक के खर्च का हिसाब देना चाहिए जो उसके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हुई थी। [देखिएः।A No.12911/2014, पैरा 19]) के आयोजन के लिए किए गए खर्च का लेखा देने के लिए किसी कानूनी दायित्व के अधीन नहीं है।

21. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता द्वारा चुनाव याचिका में इस आरोप का कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता ने बड़ी संख्या में वाहनों [11. उक्त बैठक के लिए आई.एन.सी. द्वारा प्राप्त अनुमति आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले प्रतिवादी की उपस्थिति पहले प्रतिवादी का व्यक्तिगत कार्य था, उनकी उपस्थिति आई.एन.सी. के 76 चुरहाट के उम्मीदवार के रूप में थी, बड़ी संख्या में वाहन आई.एन.सी. उम्मीदवार/प्रतिवादी नं.1 उनके निर्वाचन क्षेत्र 76-चुराहाट के मतदाताओं को उक्त सार्वजनिक सभा में भाग लेने की सुविधा प्रदान आदेश के लिए।लगभग 44 बसें हैं और उक्त सार्वजनिक सभा में भाग लेने के लिए मतदाताओं के परिवहन के लिए निजी वाहन के साथ कई टैक्सी परमिट वाहन का उपयोग किया

गया था।वहाँ उपयोग किए गए पोस्टरों में प्रतिवादी संख्या की तस्वीर/तस्वीर है।1, इसलिए, उक्त बैठक का पूरा खर्च पहले प्रतिवादी के खर्च में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आसपास के किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य उम्मीदवार ने श्री राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं किया था।(देखिएःचुनाव याचिका का पैरा 14-एल)] को किराए पर लिया था अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को उक्त सार्वजनिक सभा में भाग लेने की सुविधा प्रदान करना। IA No.12911/2014 उस आरोप के बारे में आत्यन्तिक रूप चुप है।अपीलकर्ता आरोप से इनकार भी नहीं करता है।हमें यह मत रखने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए कि यदि अपीलकर्ता ने आरोप से इनकार किया था, तो इस तरह का इनकार अभिवचनों से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त होगा।

22. श्री राहुल गांधी की उपर्युक्त बैठक के संबंध में पंडालों या अवरोधकों के निर्माण के लिए की गई लागत के संबंध में उस शीर्ष के दूसरे अंग पर आते हुए, उपरोक्त उल्लिखित आइए में अपीलकर्ता द्वारा लिया गया रुख यह है कि उक्त बैठक उस विधानसभा क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा से परे आयोजित की गई थी जहाँ से अपीलकर्ता ने चुनाव लड़ा था।सीधी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने उक्त बैठक के संबंध में किए गए खर्च की घोषणा की थी।अपीलकर्ता उक्त बैठक के संबंध में अपने द्वारा किए गए व्यय की कोई घोषणा करने के लिए किसी कानूनी दायित्व के अधीन नहीं है।

23. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ता कोई स्पष्ट दावा नहीं करता है कि उसने उक्त बैठक के संबंध में कोई खर्च नहीं किया था।

24. हेलीकॉप्टर के उपयोग पर आते हुए, एक बार फिर यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि उसने हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं किया जैसा कि प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है।उनका बचाव यह है कि वह अधिनियम की

खंड 77 के तहत विचार किए गए 'स्टार प्रचारकों' में से एक हैं। यह खर्च उन्होंने 'स्टार प्रचारक' के रूप में हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए किया था।उस हैसियत में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए पूरे राज्य में यात्रा करनी पड़ती थी।हेलीकॉप्टर के उपयोग का खर्च "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वहन किया गया था" और इसलिए, अपीलकर्ता के चुनाव व्यय के दायरे से बाहर था। [IA No.12911/2014 के पैरा 20 में अभिवचन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "इस मामले के विचार में, हेलीकॉप्टर के उपयोग में इस तरह से किए गए खर्च को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नई दिल्ली द्वारा वहन किया गया है और यह चुनाव खर्च के दायरे से बाहर है जहां तक उत्तरदाता का संबंध ऊपर उल्लिखित खंड 77 के स्पष्टीकरण 1 (ए) के आधार पर है।हालाँकि, यह आगे जोड़ा गया है कि जवाब देने वाला प्रतिवादी एक स्टार प्रचारक होने के अलावा पिछली एम.पी. राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता भी था, जवाब देने वाला प्रतिवादी अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक अनुभवी नेता है और अपनी क्षमता के कारण, उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने पूरे राज्य में यात्रा की है, सार्वजनिक बैठकें की हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार किया है।पूरे राज्य में पार्टी के कार्यक्रम के प्रचार में हेलीकॉप्टर के उपयोग में किए गए खर्च को उत्तरदाता के 76, चुरहुत विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव के संबंध में चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जा सकता है।यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने 76, चुरहुत विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव अभियान के लिए कभी भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया।इस प्रकार, 1951 के अधिनियम की खंड 77 के स्पष्टीकरण 1 (ए) को

ध्यान में रखते हुए, पैराग्राफ 14(एम) में निहित सभी अभिवचन आत्यन्तिक रूप से परेशान करने वाले और तुच्छ होने के कारण रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, बशर्ते कि चुनाव याचिका के मुकदमे के लिए वाद हेतुक कोई कारण न हो।"

(जोर दिया गया)

25. खंड 77 (धारा 77: चुनाव खर्च और उसके अधिकतम का लेखा-(1) चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार, या तो स्वयं या अपने चुनाव एजेंट द्वारा, उस चुनाव के संबंध में किए गए या उसके द्वारा या अपने चुनाव एजेंट द्वारा अधिकृत किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही लेखा रखेगा, उस तारीख के बीच जिस दिन उसे नामित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों तिथियों सहित।) अधिनियम के अनुसार चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को उन तारीखों के बीच चुनाव के संबंध में सभी खर्चों का एक अलग चालू खाता रखने के लिए बाध्य करता है जिन पर ऐसे उम्मीदवार को नामित किया गया है और उस चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख।हालांकि, अधिनियम की खंड 77 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ए) में घोषणा की गई है कि "किसी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा राजनीतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिए हवाई या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से यात्रा के कारण किया गया खर्च" उम्मीदवार के खर्च का हिस्सा नहीं होगा।

26. स्पष्टीखंडण 1 में आने वाली "राजनीतिक दल के नेता" अभिव्यक्ति को ही उक्त खंड के स्पष्टीखंडण 2 में समझाया गया है।

"स्पष्टीकरण 2.— स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजन के लिए, किसी भी चुनाव के संबंध में "किसी राजनीतिक दल के नेता" पद का अर्थ है -

(i) जहां ऐसा राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या चालीस से अधिक नहीं है, और

(ii) जहां ऐसा राजनीतिक दल किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से भिन्न है, ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या बीस से अधिक नहीं है,

जिनके नाम इस अधिनियम के तहत, भारत के राजपत्र या राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित ऐसे चुनाव के लिए अधिसूचना की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे चुनाव के प्रयोजनों के लिए नेता बनने के लिए राजनीतिक दल द्वारा चुनाव आयोग और राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को सूचित किए गए हैं।

27. स्पष्टीकरण 2 से यह देखा जा सकता है कि खंड 77 के तहत ऐसे चुनाव के उद्देश्य के लिए 'राजनीतिक दल का नेता' कहे जाने की योग्यता के लिए, ऐसे व्यक्ति का नाम संबंधित राजनीतिक दल द्वारा चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाता है।भारत के राजपत्र आदि में प्रकाशित ऐसे चुनाव की अधिसूचना से 7 दिनों की अवधि के भीतर इस तरह का संचार किया जाना आवश्यक है।

28. जिन व्यक्तियों के नाम चुनाव आयोग को इस तरह से बताए गए हैं, उन्हें चुनाव के संबंध में 'स्टार प्रचारक' कहा जाने लगा।यह हमारे सामने दलों का स्वीकृत मामला है कि श्री राहुल गांधी और अपीलकर्ता दोनों ही विचाराधीन चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक/नेता हैं।

29. हालांकि, ऐसे स्टार प्रचारकों या ऐसे स्टार प्रचारकों की ओर से किए गए पूरे खर्च (किसी भी हिसाब से) को चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा किए गए कुल खर्च का निर्धारण करने के उद्देश्य से खंड 77 के तहत छूट नहीं दी गई है।खंड 77 के

स्पष्टीकरण की भाषा यह स्पष्ट करती है कि केवल स्टार प्रचारक द्वारा किए गए खर्च को, वह भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिए यात्रा के कारण, उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा गया है।दूसरे शब्दों में, एक स्टार प्रचारक की बैठक के लिए पंडालों के निर्माण आदि जैसी व्यवस्थाओं के संबंध में किया गया खर्च स्पष्टीकरण 1 के तहत छूट प्राप्त खर्च का हिस्सा नहीं है।दूसरा, स्पष्टीकरण । के तहत, स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च स्वयं स्टार प्रचारक द्वारा किया गया होगा।यह स्पष्टीकरण के प्रारंभिक खंड से स्पष्ट है। "एक राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा किया गया खर्च।"यदि इस तरह का खर्च स्टार प्रचारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न होंगे।

30. आवेदन अर्थात IA No. 12911/2014 में यह खुलासा नहीं किया गया है कि आदेश VI नियम 16 के तहत किन आधारों पर विचार किया गया है, चुनाव याचिका के विभिन्न पैराग्राफ को रद्द करने की आवश्यकता है।दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित प्रत्येक आरोप के संबंध में एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, जिसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।जिस क्षण अदालत को चुनाव याचिका में लौटे उम्मीदवार के बचाव की जांच करने के लिए कहा जाता है, चुनाव याचिका को न तो वाद हेतुक कारण खारिज किया जा सकता है और न ही आदेश VI नियम 16 के तहत अभिवचन के किसी भी हिस्से को रद्द किया जा सकता है।आदेश VI नियम 16 में उल्लिखित आधारों में से किसी एक की उपलब्धता की अनुपस्थिति में में, सी. पी. सी. को हटाने की अनुमति नहीं है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन के संदर्भ में कहा गया है, इस स्तर पर चुनाव याचिका में निहित कथनों को तथ्यात्मक रूप से सही माना जाना चाहिए।इस तरह के बयान की एकमात्र संभावित जांच यह है कि क्या वे आरोप चुनाव याचिका में मांगी गई राहत के संदर्भ में प्रासंगिक हैं।पैराग्राफ 14 एम के अलावा पैराग्राफ 14 के

विभिन्न उप-पैराग्राफ में निहित किसी भी आरोप को चुनाव याचिका में प्रार्थना के संदर्भ में अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।

31. पैराग्राफ 14M पर चुनाव याचिका में विशिष्ट दलील यह है कि इसमें अपीलकर्ता ने केवल भोपाल और सीधी के बीच प्रासंगिक अवधि के दौरान कई अवसरों पर हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, जो दोनों अपीलकर्ता

> [13 "M.....चुनाव के दौरान 4/11/2013 से 19/11/2013 के बीच भोपाल से सीधी/चुरहाट के बीच आठ चार्टर उड़ानें थीं जो उत्तरदाता नं.1 उन्होंने इन उड़ानों का उपयोग अपने चुनाव अभियान के लिए अपने केरवा कोठी भोपाल से विधानसभा क्षेत्र 76-चुराहाट आने के लिए किया है।वास्तव में नामांकन दाखिल करने की तारीख को प्रथम प्रतिवादी ने सीधी में जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए चार्टर उड़ान का उपयोग किया है और उसके बाद चुराहाट के लिए आगे बढ़े हैं।विवरण इस प्रकार हैः
>
> (i) 4/11/2013 (पंवार) सीधी से भोपाल
>
> (ii) 05/11/2013 भोपाल से सीधी (पंवार)
>
> (iii) 08/11/2013 भोपाल से सीधी (पंवार)
>
> (iv) 11/11/2013 भोपाल से सीधी (पंवार)
>
> (v) 12/11/2013 सीधी (पंवार) से भोपाल
>
> (vi) 16/11/2013 भोपाल से सीधी (पंवार)
>
> (vii) 18/11/2013 भोपाल से सीधी (पंवार)
>
> (viii) 19/11/2013 सीधी (पंवार) से भोपाल

इन चार्टर उड़ानों की अनुमानित लागत Rs.40,00,000/- (चालीस लाख) (@ 5 लाख रूपया प्रति उड़ान) होगी।इन उड़ानों की अनुमति की सही प्रति संचयी रूप से-संलग्नक पी-42 के रूप में दाखिल की गई है।]

के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर हैं। स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि अपीलकर्ता मध्य प्रदेश राज्य के लिए उक्त चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों में से एक था।इसलिए, उन्हें न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी अपने राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने की आवश्यकता थी।इस आरोप की अनुपस्थिति में में कि अपीलकर्ता ने प्रचार के उद्देश्य से 76-चुराहाट निर्वाचन क्षेत्र के भीतर यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया था, हमारी राय में उस खाते पर किए गए खर्च को अपीलकर्ता के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जा सकता है।इसलिए, चुनाव याचिका का अनुच्छेद 14 एम उत्तरदायी है -निरस्त किया जाए और तदनुसार निरस्त किया जाए।

32. इस मामले से अलग होने से पहले, हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश VII नियम 11 याचिका के तहत शुरू में याचिका दायर करने में अपनाई गई प्रक्रिया, "यह प्रार्थना करते हुए कि चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाए और लंबे अंतराल के बाद तत्काल आवेदन दायर किया जाए", की निंदा की जानी चाहिए।चुनाव याचिका में प्रारंभिक आपत्तियां, यदि कोई हों, (उन मामलों में जहां एक से अधिक हैं) को जल्द से जल्द और एक बार में लिया जाना चाहिए।अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रथा केवल चुनाव याचिका के निर्णय में देरी करती है जो संसद द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है।हम घोषणा करते हैं कि इस तरह की बाद की याचिकाओं को उच्च न्यायालयों द्वारा केवल उसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

33. इसलिए, अपील को आंशिक रूप से चुनाव याचिका के केवल अनुच्छेद 14 एम को रद्द करने की अनुमति है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।